छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

Phone No- 0771-2422425, Email Id – secycgbse@gmail.com, Website- www.cgbse.nic.in

क्रमाँक/ 243 /गोपनीय/प्रायोगिक परीक्षा/2025 — रायपुर, दिनाँक 17/11/25

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त मान्यता प्राप्त संस्थायें
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छत्तीसगढ़।

नियमित छात्र/छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य हेतु निर्देश

विषय :— हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2026 के नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य एवं अंक प्रेषण संबंधी निर्देश।

—000—

विषयांतर्गत लेख है कि हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2026 के नियमित छात्र/छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य दिनॉक **01.01.2026** से **20.01.2026** के मध्य संबंधित संस्था में संपन्न कराई जायेगी। उक्त तिथि से संबंधित विषय शिक्षकों और छात्र/छात्राओं को अवगत कराये, प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य में अनुपस्थित छात्रों को किसी भी दशा में विशेष अनुमति नही दी जावेगी और न ही दोबारा संपन्न करायी जायेगी, ऐसी स्थिति में छात्रों को अनुपस्थित ही दर्शाया जावेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्राचार्य/छात्र/छात्राओं की होगी।

प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य एवं अंक प्रेषण हेतु निम्नानुसार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें :—

(01) आपका यह दायित्व होगा कि निर्धारित समयावधि में मण्डल द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक से ही प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराये। आप स्वेच्छापूर्वक बाह्य परीक्षक नियुक्त कर प्रायोगिक परीक्षा संपन्न न कराये, यदि ऐसा किया जाता है, तो ऐसी परीक्षा किसी भी स्थिति में मान्य नही की जावेगी और छात्र/छात्राओं के अहित की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्राचार्य की होगी।

(02) प्रायोगिक परीक्षा हेतु मण्डल द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्त किये जायेंगे, संबंधित बाह्य परीक्षक से संपर्क स्थापित कर प्रायोगिक परीक्षा की तिथि सुनिश्चित करें। यदि किसी कारणवश बाह्य परीक्षक प्रायोगिक परीक्षा लेने में असमर्थता व्यक्त करता है, तो उससे कारण सहित लिखित में अभ्यावेदन प्राप्त करें और वैकल्पिक व्यवस्था हेतु तत्काल अपने जिले के समन्वय संस्था से संपर्क स्थापित कर निर्देशानुसार प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराये।

(03) आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति संबंधित संस्था स्तर पर की जावेगी, संस्था में अध्यापन करा रहे विषय शिक्षकों को ही आंतरिक परीक्षक नियुक्त किया जाये।

(04) प्रायोजना कार्य हेतु मण्डल द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्त नही किये जायेंगे, संबंधित संस्था स्तर पर ही विषय शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रायोजना कार्य आयोजित किया जाये।

(05) प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य का आंतरिक मूल्याकंन संबंधित संस्था स्तर पर ही किया जाना है।

(06) मण्डल द्वारा प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य के दौरान आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा। अतः गंभीरता के साथ प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य संपन्न कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(07) प्रायोगिक परीक्षा हेतु गत वर्षो की बची उत्तरपुस्तिकाओं का उपयोग करें तथा कमी होने पर स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करें।

(08) पात्रता के अभाव में निरस्त किये गये छात्रों के प्रायोगिक अंक मण्डल द्वारा अमान्य कर दिये जायेंगे।

(09) प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य संपन्न उपरांत अंकों की ऑनलाईन प्रविष्टि दिनॉक **31.01.2026** तक मण्डल पोर्टल पर करें तथा इसकी दो प्रतियॉ (हार्ड कॉपी) निकालकर संबंधित विषयों के बाह्य परीक्षकों से मिलान कराकर हस्ताक्षरित कराये, तत्पश्चात पोर्टल लॉक करें। यह ध्यान रखें कि पोर्टल लॉक करने के पूर्व सभी प्रविष्टियों को अच्छी तरह से जॉच लेवे क्योकि पोर्टल लॉक करने के पश्चात् संशोधन संभव नही होगा। पोर्टल लॉक करने के पूर्व आवश्यक संशोधन कर सकते है, पोर्टल लॉक करने के पश्चात् संशोधन हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन मान्य नही होगा।

निर्धारित तिथि के पश्चात् ऑनलाईन अंक प्रविष्टि एवं संशोधन हेतु पोर्टल खोलने पर प्रति दिवस, प्रति संस्था राशि 1000/—(एक हजार रुपये) की दर से विलंब शुल्क ऑनलाईन भुगतान करने पर संबंधित संस्था का पोर्टल दो (02) दिवस के लिये खोला जायेगा। विलंब शुल्क हेतु दिवस की गणना निर्धारित अंतिम तिथि **31.01.2026** के बाद से की जावेगी। विलंब शुल्क किसी भी परिस्थिति में छात्र/छात्रा से वसूल नही किया जाये।

क्रमशः //02//

(10) प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य संपन्न उपरांत प्राप्तांकों की सूची (हार्ड कॉपी) को बाह्य परीक्षकों एवं प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर उपरांत परीक्षावार/विषयवार लिफाफे में पैकिंग कर सील बंद करे तथा उत्तरपुस्तिकाओं को (हाईस्कूल परीक्षा–सफेद कपड़े में एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा–पीले कपड़े में) पैकिंग कर बण्डल बनाये, बण्डल को सील बंद करे, तत्पश्चात् बण्डल के ऊपर परीक्षा का नाम, वर्ष 2026, विषय का नाम, छात्र संख्या अंकित करे तथा अंकों के सील बंद लिफाफे एवं मूल्यांकित उ0पु0 के बण्डलों को **परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 06 माह तक अपनी संस्था में सुरक्षित रखे। आवश्यकता पड़ने पर मंगाया जायेगा।**

(11) हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य हेतु परीक्षकों के शेष निर्देश वर्ष 2019–20 के अनुसार यथावत रहेंगे, निर्देश पुस्तिका मण्डल वेबसाईट www.cgbse.nic.in पर अपलोड की गई है।

विशेष टीप :–

1. प्रायोगिक परीक्षा हेतु आपकी संस्था पर आबंटित प्रति परीक्षार्थी हाईस्कूल के लिये रुपये 03/–एवं हायर सेकण्डरी के लिये रूपये 04/–की दर से (बाह्य एवं आंतरिक परीक्षक हेतु अलग–अलग) अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है। अग्रिम व्यय का हिसाब मय प्रमाणित व्हाउचर पृथक से वित्ताधिकारी, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा।
2. प्रायोगिक परीक्षा दो पाली में संचालित की जाये। प्रथम पाली समय प्रातः 8.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा द्वितीय पाली समय दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक।
3. गत वर्ष प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य के अंकों में संशोधन हेतु कई संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुये थे। अतः यह ध्यान रखे कि पोर्टल लॉक करने के पूर्व सभी प्रविष्टियों को अच्छी तरह से जॉच लेवे क्योकि पोर्टल लॉक करने के पश्चात् संशोधन संभव नही होगा। इसलिये पोर्टल में ऑनलाईन प्रविष्टि करने के उपरांत अंकों की पुनः जॉच करे, अंकों का 2–3 बार मिलान अवश्य करे, तत्पश्चात पोर्टल लॉक करे। परीक्षाफल घोषणा के बाद अंको में संशोधन मान्य नही किया जावेगा।
4. लेखक/प्रवाचक (Reader)/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा ऐसे छात्र जो 40% या उससे अधिक निःशक्त हो, को उसकी मांग के आधार पर उपलब्ध करावे।
5. कक्षा 12वीं में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कार्य एवं दो प्रोजेक्ट विद्यालय स्तर पर अनिवार्य रुप से कराया जावे तथा मण्डल द्वारा निर्धारित योजना अनुसार 50 अंकों की परीक्षा आयोजित कर छात्र/छात्राओं के प्राप्तांकों की ऑनलाईन प्रविष्टि दिनांक 31.01.2026 तक मण्डल पोर्टल पर अनिवार्य रूप से किया जावे।

17/11/25

(श्रीमती पुष्पा साहू) IAS
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

पृ0 क्रमॉक/ 254 /गोपनीय/प्रायोगिक परीक्षा/2025
रायपुर, दिनाँक 17/11/25

प्रतिलिपिः–

(01) अध्यक्ष/सचिव के निज सहायक, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को सूचनार्थ।
(02) सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छ0ग0 को सूचनार्थ।
(03) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छ0ग0 को सूचनार्थ।
(04) समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
(05) समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को सूचनार्थ।
(06) वित्ताधिकारी, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को समस्त संस्थाओं में प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
(07) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग–रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
(08) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ0ग0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
(09) समस्त सहायक सचिव/सहायक प्राध्यापक/संभागीय अधिकारी छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
(10) समस्त प्राचार्य, (समन्वय संस्था) उ0मा0वि0 छ0ग0 की ओर प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
(11) प्रोग्रामर, डाटा कक्ष, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर की ओर मण्डल वेबसाईट/संस्था प्राचार्य के आईडी में अपलोड करने एवं संस्थाओं द्वारा की गयी ऑनलाईन प्रविष्टि की सी0डी0 तैयार कर परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात् गोपनीय कक्ष को सौपने की कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

17/11/25

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर